तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज पीएनबी हाऊसिंग / गिरीराज पूरोहित किस्म मुकदमा विविध (प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट) मुकदमा 60 / 20 ( ) श्री धर्मवीर चाहर बैंक प्रतिनिधि श्री गिरीराज पूरोहित	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.02.2021	उभयपक्ष उपस्थित। बैंक प्रतिनिधि ने अप्रार्थी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण का भुगतान नहीं करने के कारण 14 सरफेसी के तहत यह प्रकरण पेश किया है। अप्रार्थी श्री गिरीराज पूरोहित ने उपस्थित होकर लिखित प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसने ऋण के बकाया का भुगतान कर खाता नियमित करवा दिया है और ऋण की किश्तो की कटौती नियमित रूप से हो रही है। बैंक द्वारा मात्र ओवर ड्यू राशि की मांग की जा रही है। बैंक प्रतिनिधि ने भी यह स्वीकार किया कि अप्रार्थी का ऋण नियमित हो चुका है। बैंक द्वारा ओवरड्यू चार्जेज /पैनल्टी की मांग की जा रही है। हमने दोनो पक्षो को सुना और पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बैंक द्वारा ओवर डय चार्जेज़ पैनल्टी राशि की मांग की जा रही है। संपत्ति के विरूद्ध लिये गया ऋण नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। ओवरडयू चार्जेज /पैनल्टी राशि के भुगतान का मामला बैंक अपने स्तर पर नियमानुसार निस्तारण कर सकता है। अतः बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम की जाकर फैसल शूमार हो। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर,बीकानेर	